राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गंगा देवी बनाम मालीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/11/2025 को पेश हो।	
19/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र बाजदायरी हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि मूल अपील में इस बाजदायरी प्रार्थना पत्र के प्रार्थी बंशीधर द्वारा दिनांक 12/10/1999 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी प्रस्तुत कर मूल अपील संख्या 49/2009 की अपीलार्थी गंगा देवी के फौत हो जाने पर उनके स्थान पर अपीलार्थी बनाये जाने की ईस्तदुआ की गयी थी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23/02/2010 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थीयां गंगा देवी के विधि उत्तराधिकारी (विवादित भूमि बाबत) के प्रश्न के विनीश्च हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक क्लेक्यर सांभरलेक को अधिकृत करते हुये पक्षकारान को उनके समक्ष दिनांक 05/03/2010 को उपस्थित होकर अपने-अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य आदि पेश करने के निर्देश प्रदान करते हुये 60 दिवस में इस प्रश्न का निर्णय कर पत्रावली इस न्यायालय को पुन: लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिसकी अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर विस्तृत विवेचन करते हुये आदेश दिनांक 05/04/2010 पारित कर प्रार्थी बंशीधर को गंगा देवी विधिक उत्तराधिकारी नही होना मानते हुये विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मृत्तका गंगा देवी के विधिक उत्तराधिकारी उसकी पुत्रीयो माली देवी, प्रभाती देवी व रामप्यारी व दत्तक पुत्र सीताराम का होना अंकित कर पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को प्रेषित की गयी, जिसके उपरान्त पत्रावली नियमित तारीख पेशी में निरन्तर पेशी दर पेशी चलती रही तथा दिनांक 02/04/2025 को अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी में ख़ारिज फरमा दी गयी एवं दिनांक 02/04/2025 को पत्रावली अदम पैरवी व अदम हाजरी में ख़ारिज होने के आदेश को चुनौती देते हुये प्रार्थी बंशीधर द्वारा यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बाजदायरी प्रार्थना पत्र के प्रार्थी बंशीधर को मृत्तक गंगा देवी द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित किये गये आदेश को उनका विधिक उत्तराधिकारी होना सिद्ध नही कर पाने से चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार ही जाहिर नही होता है। ऐसे में प्रार्थी बंशीधर द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार योग्य नही होने से ख़ारिज किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र बाजदायरी फैसल शुमार होकर सलग्न मूल अपील पत्रावली रहे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर